COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***Pg. 1/2***

District & Addl. Sessions Judge -I, Jamui

A.B.P. No. 669/2026

S.C./S.T case no. 110/2025

Complaint case no. 85C/2024

Lorik Yadav & Other Vs. State of Bihar

आदेश

30.05.2026

एस0सी0 / एस0टी0 कांड संख्या–85सी / 2024, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 352, एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) से संबंधित है, के अभियुक्तगण **1. लौरिक यादव** पे0 स्व0 धोरिक यादव कथित उम्र 63 वर्ष, **2. शेरू यादव** पे0 स्व0 धोरिक यादव कथित उम्र 72 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम–बांद्रा, थाना–बरहट, जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि परिवादिनी दिनांक 09.01.2024 को शेरू यादव को एक लाख रूपया देकर 13 डी0 जमीन खरीदा है। यह जमीन उसके घर के बगल में है। दिनांक 14.12.2024 को वह अपने खेत में थी। उसी समय अभियुक्तगण लोरिक यादव, विकाश यादव, अधिक यादव एवं शेरू यादव आये कहने लगे कि **"साली, भोसड़ी, रण्डी, दुसाधिन तुमको कहते है कि इस खेत के बदले दूसरी जगह जमीन देगें।" परिवादिनी द्वारा यह कहने पर कि उसने यह जमीन खरीदी है, दूसरा जगह जमीन नहीं लेगी।** सभी मिलकर उसके साथ मारपीट करने लगे। अभियुक्त अधिक यादव और विकास यादव ने उसका ब्लाउज फाड़ दिया और ऐसा धक्का मारा कि वह जमीन पर गिर गई। साड़ी–साया उघर गया। वह नग्न हो गयी।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण को जमीन विवाद के कारण झूठा फसाया गया है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उनका कथन है कि लगा आरोप गम्भीर है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है।

मैंने अभिलेख आपराधिक परिवाद 85सी/2024 के अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी सुशीला देवी ने अपने इस परिवाद मामले में अपने सशपथ बयान के अतिरिक्त चार जांच साक्षियों का साक्ष्य करवाया। परिवादिनी सहित सभी चारों जांच साक्षियों ने साररूप से परिवाद पत्र में दर्ज अभियोजन कथानक का समर्थन किया था। परिणामस्वरूप इस न्यायालय ने अभियुक्त लौरिक यादव एवं शेरू यादव के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 352 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया तथा अभियुक्तगण की उपस्थित हेतु सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया। मैं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के इस कथन से सहमत हूँ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अभियोग के लिए अग्रिम जमानत आवेदन विधित पोषणीय नहीं है। अतः अग्रिम जमानत का यह आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।

प्रति– विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जमुई को आवश्यक सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।